संख्या– 780 /XXIII/04/03/2004 टी0सी0

प्रेषक :

बी0सी0चन्दोला,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

आबकारी अनुभाग देहरादून:दिनांक: मई 31 ,2004

विषय : वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए आबकारी नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल शासन आबकारी विभाग की अधिसूचना सं0 312/18/आब/2003–04 दिनांक 22 अप्रैल, 2003 के द्वारा दिनांक 1.5.2003 से जो आबकारी नीति घोषित की गयी थी, वह दिनांक 31.3.2004 तक के लिए प्रभावी थी तथा दिनांक 1.4.2004 से उत्तरांचल राज्य में नई आबकारी नीति लागू की जानी थी परन्तु सामान्य लोक सभा चुनावों की घोषणा के कारण प्रदेश में चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 1.4.2004 से 31.5.2004 तक की अवधि के लिए भी वित्तीय वर्ष 2003–04 की आबकारी नीति को ही प्रभावी रखा गया। वर्ष 2004–05 के लिए घोषित आबकारी नीति चूँकि 11.6.2004 से प्रभावी होगी इसलिए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 1.6.2004 से 10.6.2004 तक की अवधि में भी गत वर्ष 2003–04 के ही नीति प्रभावी रहेगी।

1– लाईसेन्स फीस का निर्धारण–

वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु लाईसेन्स फीस का निर्धारण विगत वित्तीय वर्ष 2003–04 में देशी मदिरा की बल्क लीटर बिक्री एवं विदेशी मदिरा की बोतलों की संख्या में बिक्री के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु निर्धारित स्लैबवार लाईसेन्स फीस में 15 प्रतिशत बृद्धि करते हुए निर्धारित की जायेगी। इसमें से दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 10 जून, 2004 तक के लिए प्राप्त लाईसेन्स फीस घटाकर वित्तीय वर्ष की शेष अवधि अर्थात् दिनांक 11.6.2004 से 31.3.2005 तक की लाईसेन्स फीस निर्धारित की जायेगी।

31/5/2004

2– अधिमार का निर्धारण–

देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2003–04 में वास्तविक निकासी पर देय अधिमार में 15 प्रतिशत बृद्धि जोड़कर वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु अधिमार निर्धारित किया जायेगा। इसमें से दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 10 जून, 2004 तक प्राप्त अधिमार घटाकर वित्तीय वर्ष 2004–05 की शेष अवधि के लिए अधिमार माना जायेगा।

3– राजस्व निर्धारण–

उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाईसेन्स फीस एवं बिन्दु 2 के अनुसार निर्धारित अधिमार के योग में यदि अन्य कोई कर देय हो जोड़कर दिनांक 11.6.2004 से 31.3.2005 तक का दुकान का "राजस्व" माना जायेगा।

4– देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन–

उक्त प्रकार बिन्दु–3 की व्यवस्थानुसार दुकानवार "राजस्व" निर्धारित करके गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी आवेदकों से निर्धारित राजस्व पर देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्रों में जहां एक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदक हैं उस दशा में लाटरी द्वारा आबंटन किया जायेगा।

उपरोक्त दोनों निगमों, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को छोड़कर उपरोक्त प्रकिया में निजी अनुज्ञापी को जनपद में देशी तथा विदेशी मदिरा की एक दुकान से अधिक आबंटित नहीं की जायेंगी। अर्थात् देशी मदिरा की अथवा विदेशी मदिरा की केवल एक ही दुकान आबंटित की जा सकेगी।

उपरोक्त प्रकिया में यदि कोई देशी व विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाय तो उनके व्यवस्थापन के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

5–पात्रता –

दुकानों के आबंटन की पात्रता हेतु गत वित्तीय वर्ष की भाँति उत्तरांचल के स्थाई निवासी के साथ ही वित्तीय वर्ष 2003–04 की पात्रता एवं आबंटन की अन्य शर्तें एवं प्रकिया भी लागू रहेगी।

6– देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में अधिभार की गणना–

निकासी हेतु अधिभार का निर्धारण दिनांक 19.7.2002 से प्रभावी है। विदेशी मदिरा की निकासी हेतु अधिभार की दरों में वृद्धि आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित की जायेगी।

7– मदिरा का बिकय मूल्य –

मदिरा के विकय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाया जायेगा। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने पर अनुज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।

8– विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2) –

विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2) गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगमों द्वारा आवेदन करने पर उन्हे पूर्ववत् दिये जायेंगे। पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, उत्तरांचल को भी उनके द्वारा आवेदन करने पर विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जायेगा। एफ0एल0–2 के स्तर पर लिये जाने वाले लाभांश को इस प्रकार तार्किक (Rationalise) किया जायेगा कि इसके कारण उत्तरांचल राज्य में मदिरा अन्य पड़ोसी राज्यों के सापेक्ष महंगी न हो तथा अवैध तस्करी की सम्भवना न रहे। इसको एक्स आसवनी मूल्यों के आधार पर, आबकारी आयुक्त द्वारा शासन की पूर्वानुमति के उपरान्त निर्धारित किया जायेगा।

9– बार एवं क्लब बार लाईसेन्स –

बार/क्लब बार लाईसेन्स देने के संबंध में तीन, चार व पाँच सितारा होटलों को बार लाईसेन्स दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था यथावत् रहेगी। अन्य होटलों व रेस्त्राओं को बार लाईसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन के आदेश संख्या 110–122/ सात–लाईसेन्स/बार–नीति/2001–02 दिनांक 6.4.2001 द्वारा जारी की गयी नीति का अनुसरण किया जायेगा।

परन्तु यह प्रतिबन्ध होगा कि प्रश्नगत आवेदक होटल/रेस्त्रां का विगत वित्तीय वर्ष में पके भोजन का बिकय धन रू0 3.00 लाख (तीन लाख रूपये) से कम न रहा हो।

गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगमों के पर्यटक आवास गृहों को वित्तीय वर्ष 2002–03 में निर्धारित नीति यथावत् रहेगी।

3/5/2004

चार व पांच सितारा होटल एवं क्लब बारों की लाइसेंस फीस पूर्ववत रहेगी। अन्य बार की लाईसेन्स फीस 2.00 लाख रूपये प्रति वर्ष रखी जायेगी परन्तु बार में बीस हजार बोतल तक वार्षिक बिक्री होने वाली मदिरा पर परमिट फीस रू0 30.00 प्रति बोतल के स्थान पर रू0 40.00 प्रति बोतल रहेगी। बीस हजार बोतल से अधिक की बिक्री पर पूर्व वर्ष की भॉति प्रत्येक 10 प्रतिशत की बृद्धि पर रू0 5.00 की दर से अतिरिक्त परमिट फीस लागू रहेगी।

जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है, वहां छः माह की अवधि के लिए भी लाइसेंस दिये जा सकेंगे।

10– बियर बार लाईसेन्स –

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन होटल एवं रेस्त्राओं को, जिनकी विगत तीन वर्षों में पके हुए भोजन की बिक्री 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो, उन्हें रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हजार) प्रति वर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर बार लाइसेन्स स्वीकृत किये जायेंगे। इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत वह केवल बियर की ही बिक्री करने के पात्र होंगे।

जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है, वहां छः माह की अवधि के लिए भी लाइसेंस दिये जा सकेंगे।

11– आसवनियों बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना–

(क) आसवनियो की स्थापना हेतु अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा।
(ख) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिए पूर्व वर्ष की नीति की भांति ही इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।
(ग) ब्रुअरी, बिन्टनरी एवं वायनरी की स्थापना हेतु पूर्व वर्ष की भांति लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा।
12– देशी मदिरा के वर्तमान आबंटन क्षेत्र को विगत वर्ष की ही भॉति रखा जायेगा।

31/5/2004

13– भॉग के अनुज्ञापन में वर्ष 2002–03 की नीति को यथावत् रखा जायेगा।
14– बार एवं क्लब बारों को छोड़कर अन्य लाईसेन्स फीस में भी 15 प्रतिशत बृद्धि की जायेगी। तीन, चार व पॉच सितारा होटल एवं बार/ क्लब बारों की फीस उपरोक्त प्रस्तर–9 की व्यवस्थानुसार रहेगी।
15– राज्य के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विदेशी मदिरा पर देय अभिकर को 52.00 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर के स्थान पर 55.00 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर किया जायेगा।
16– देशी मदिरा में प्रयुक्त होने वाली नई बोतलों की व्यवस्था यथावत् रहेगी।
17– अन्य व्यवस्थायें विगत वित्तीय वर्ष 2003–04 की ही भॉति रहेंगी।
18– वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु आबकारी विभाग का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 300.00 करोड़ रूपये (तीन सौ करोड़ रूपये मात्र) होगा।
19– उपरोक्त के कियान्वयन हेतु शासन तथा आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक से संशोधित नियमावली बनाई जायेगी।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3/5/2004
(बी0सी0चन्दोला)
सचिव

संख्या /XXIII/04/03/2004 टीसी तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्रीजी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
7. गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से,
(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव